

(राजस्थान सरकार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी:- हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 217/2012

जी.सी.एम.एस नम्बर :- 2012/00016

1. रघुवीर पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

.....प्रार्थी

- ब न म -

गुलझारी लाल पुत्र नोरंग राम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

2. यादराम पुत्र नोरंग राम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
3. रुघवीर पुत्र नोरंग राम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
4. सुरेश कुमार पुत्र नोरंग राम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
5. मातूराम पुत्र रामकुमार जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
6. नरोत्तम लाल पुत्रान बीजाराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
7. नरेन्द्र पुत्र बीजाराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
8. श्रीचन्द पुत्रान बीजाराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
9. पार्वती देवी पत्नी बीजाराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
10. किशतूरी पत्नी स्व. फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
11. जलेशिंह पुत्रान फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
12. समन्दर सिंह पुत्रान फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
13. छोटेलाल पुत्रान फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
14. मुकेश कुमार पुत्रान फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
15. सुनिल पुत्रान फूलचन्द जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
16. जितेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
17. निर्मला देवी पत्नी रामस्वरूप जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)



18. दाताराम पुत्रान रिछपाल जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
19. ओमप्रकाश पुत्रान रिछपाल जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
20. निरंजन पुत्रान रिछपाल जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
21. श्रवण कुमार पुत्रान रामेश्वर जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)
22. हरीराम पुत्रान रामेश्वर जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
23. महेन्द्र सिंह पुत्रान रामेश्वर जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
24. कमला पुत्री रामेश्वर जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
25. रोताश पुत्रान गणपत जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
26. अमर सिंह पुत्रान गणपत जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
27. प्रभुराम पुत्रान रावतराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
28. नानड राम पुत्रान रावतराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
29. जले सिंह पुत्रान रावतराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
30. बसन्ती देवी पत्नी प्रभुराम जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
31. रतन सिंह पुत्र गुलझारी जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
32. सहजो देवी पत्नी गुलझारी जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
33. मुन्नाराम पुत्र गुलझारी जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
34. बीजणा पुत्रीयान गुलझारी जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
35. शर्मिला पुत्रीयान गुलझारी जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
36. रणजीत पुत्र चतरू जाति अहीर निवासी कलंगाव तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)
37. ओ. बी. सी. बैंक शाखा चिडावा जरिये शाखा प्रबंधक
38. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा गाडाखेड़ा जरिये प्रबंधक
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0

.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र बाबत रास्ता चाहने

अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :-

प्रार्थीगण की ओर से - श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थीगण संख्या 5 लगा. 13 व 15 की ओर से - श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता



-: निर्णय :-

दिनांक :- 20/5/24

**उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)**

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:-

1. यह कि वाके ग्राम कलंगाव में स्थित भूमि खाता नं. 38 के ख0 न0 271 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 273 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 274 रकबा 0.05 है0, ख0 न0 275 रकबा 0.01 है0, ख0 न0 276 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 277 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 281 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 282 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 291 रकबा 1.34 है0, ख0 न0 292 रकबा 0.92 है0, ख0 न0 428 रकबा 0.93 है0, ख0 न0 429 रकबा 1.22 है0, ख0 न0 430 रकबा 1.10 है0, ख0 न0 431 रकबा 0.72 है0, ख0 न0 465/291 रकबा 0.04 है0, कुल किता 15 कुल रकबा 9.63 है0, में वादी का हिस्सा 3/6 भाग है।
2. यह कि वाके ग्राम कलंगाव स्थित भूमि खाता सं. 16 में ख0 न0 344 रकबा 2.47 है0, ख0 न0 347 रकबा 0.79 है0, ख0 न0 361 रकबा 0.69 है0, ख0 न0 362 रकबा 0.73 है0, ख0 न0 427 रकबा 1.58 है0, ख0 न0 434 रकबा 0.66 है0, ख0 न0 435 रकबा 1.40 है0, ख0 न0 436 रकबा 0.46 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 8.78 है0, में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/2 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 15 का हिस्सा 1/6 दर हिस्सा 1/2 है तथा खाता सं. 63 में ख0 न0 394 रकबा 1.61 है0, ख0 न0 435 रकबा 1.40 है0, प्रतिवादी सं0 26 लगा0 28 का 3/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 29 का 1/16 भाग तथा प्रतिवादी सं. 30 का 1/4 भाग तथा प्रतिवादी सं0 31 से 35 का 1/4 भाग है।
3. यह कि ख0 न0 431 रकबा 0.72 है0 में एक कुआ व मकानात बना रखे है जिसमें विधुत कनेक्शन ले रखा है जिससे वादी अपनी भूमि में सिंचाई कार्य करता है वादी अपनी भूमि में करीब 20 वर्षों से अधिक समय निवास भी कर रहा है।
4. यह कि वादी/आवेदक की भूमि ख0 न0 431 रकबा 0.72 है0, ग्राम कलंगाव से कुभाणा कुआ व रायपुर जाटान व ढाढोत कलां के आम रास्ते से पूर्व में 500 फूट की दुरी पर स्थित है वादी की भूमि ख0 न0 435 रकबा 1.40 है0, व ख0 न0 434 रकबा 0.66 है0 के उत्तरी सीमा के सहारे से गुजरना पड़ता है तथा वादी को फसल को बुआई व कुए संबंधित सुविधा के लिये काफी परेशानी होती है ऐसी स्थिती में वादी रास्ता बाबत दावा पेश करना आवश्यक हुआ।
5. यह कि वादी की भूमि ख0 न0 435 रकबा 1.40 है0, ख0 न0 434 के उत्तरी सीमा के सहारे 15 फुट चौड़ा रास्ते की मांग करना आवश्यक हुआ ताकि वादी को अपनी मकानात व कुए पर आने जाने में सुविधा हो सके।
6. यह कि आवेदक राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अनुसार डी.एल.सी से दुगुनी राशी अथवा अन्य शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि वादी को अपने खेत में ख0 न0 431 में आने जाने के लिये 15 पन्द्रह फुट चौड़ाई का रास्ता प्रतिवादीगण की भूमि ख0 न0 435 व 434 के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे से



(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला जयपुर (राज.)


दिलवाया जावे ताकि वादी अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य व आने जाने का उपयोग कर सके।

- (2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगा. 13 व 15 की ओर से - श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। शेष की बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 26.02.2013 को अमल में लाई गई।
- (3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 397 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 57 दिनांक 16.01.2018 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट पर आपति पेश की गई एवं पुत्र तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 136 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3431 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की -
- (1) प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण 2013 से विचाराधीन है पूर्व में भी 2 बार रिपोर्ट आ चुकी है। तहसीलदार की रिपोर्ट का अध्ययन किया। ख0 न0 431 के लिए रास्ता चाहा गया है। जो कि ख0 न0 434 व 435 से मांगा गया है वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उत्तरी मेड के सहाता प्राथमिकता से मांगा गया है लेकिन यदि दक्षिण मेंड से रास्ता दिया जावे तो भी ऐतराज नहीं है। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि उत्तरी मेड पर मकान बने हुए है अतः दक्षिणी मेंड से रास्ते देने में कोई ऐतराज नहीं है। जो कि ख0 न0 434 व 435 के दक्षिणी सिरे से ग्रेवल रोड की तरफ खुलता है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया।

न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (Not mere convenient enjoyment of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। न्यायालय आवेदकगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।


दोनों पक्षों की बहस उपरान्त पत्रावली का अवलोकन पश्चात आवेदन/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। खसरा नम्बर 434 व 435 के दक्षिणी मेड के संलग्न जो ख0 संख्या 431 से ग्रेवल रोड तक 9 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है तथा अप्रार्थी को डी.एल.सी. का दुगुना राशि चुकावे।


उपउण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्डू (राज.)




आदेश

“न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ग्राम कलंगाव में स्थित भूमि ख0 न0 431 में आने जाने के लिए रास्ता चाहा है। अतः दक्षिणी मेड से रास्ता देने में कोई ऐतराज नहीं है। जो कि ख0 न0 434 व 435 के दक्षिणी मेड के दक्षिणी सिरे से ग्रेवल रोड़ तक 9 फुट चौड़ा रास्ता दिया जाता है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –“अ” के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में “गैर मुमकिन रास्ता” के रूप में दर्ज कर खाता संख्या 1 में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना 15 दिवस में कर नियमानुसार ग्राम कलंगाव की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित दर से गणना कर दो गुणा राशि नियमानुसार सम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे”।


 उपखण्ड अधिकांशी बुहाना
 उपाखण्ड सुन्दरी (राज.) एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।


 (हेमन्त कुमार)
 उपखण्ड अधिकांशी बुहाना
 पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

